

भाग-3

( संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है, )

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है, क्या — नहीं।  
इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है,  
( हां या नहीं), यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और  
किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न  
करें।
15. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग- ख में दी गयी — हाँ।  
सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत  
है।
16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित — प्रभागीय निदेशक, सा0 वा0 प्रभाग, रामपुर  
वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष द्वारा दी गयी आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए  
सिफारिशें। प्रस्ताव संस्तुति सहित प्रेषित हैं।

तिथि : 24/5/17

स्थान : mbd

( आर.जी.वर्मा )  
नाम व पदनाम वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक  
सरकारी मोहर मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद।

## कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद ।

पत्रांक 3421 / 14-1 दिनांक, मुरादाबाद 24 मई, 2017

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**विषय :-** रामपुर-केमरी मार्ग (ओडीओआरओसं0-20) किमी 0 3.135 की बांयीं पटरी पर ग्राम-पहाडी के गाटा संख्या-140 में एस्सार आयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0555 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

**संदर्भ :-** वन संरक्षक (केन्द्रीय) का पत्रांक 8बी/06/34/2016/एफ0सी0/58 दिनांक 28.04.2016 एवं आपका पृष्ठांकित पत्रांक 2326/11सी-रामपुर दिनांक 05.05.2016 तथा 674/रामपुर/15575/2015 यूपी-205 दिनांक 28.09.2016

महोदय

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगायी गई आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार प्रेषित किया गया है अतः प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर से प्राप्त मूल प्रस्ताव की 3 प्रतियां अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है :-

Observation No.	Observation of GOI	Reply/Modification
1.	As per the details provided at A1(ix), the information regarding of non forest land which is mentioned as zero is incorrect.	प्रस्ताव के पेज संख्या-4 फार्म ए 1(ix) पर अंकित है।
2.	The kml file of the proposed forest land for diversion is not in order (online version). The kml file has also not been submitted in CD form for GIS DSS analysis.	प्रस्ताव के पेज संख्या-38 पर संलग्न है।
3.	The SOI topo sheet uploaded is without title and index.	The SOI topo sheet uploaded with title and index Farm -A (C) map page no.6 टोपो शीट प्रस्ताव के पेज संख्या-20 पर संलग्न है।
4.	The map of proposed forest land diversion (online) does not match with layout plan provided with the proposal.	प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रामपुर के स्वीकृत मानचित्र के प्रभावित वन भूमि का भू-संदर्भित मानचित्र नया बनवाकर प्रस्ताव के पेज संख्या-21 संलग्न है।
5.	The user agency has not provided undertaking for abiding with condition imposed by SPWD.	प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रामपुर के स्वीकृत मानचित्र में उल्लिखित शर्तों की वचन बढ़ता प्रस्ताव के पेज संख्या-52 पर संलग्न है।
6.	Most of the undertaking/ certificates have not been certified by the concerned DCF/DFO.	हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।
7.	The proposal is without submission of calculation for NPV levels.	प्रभावित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना प्रस्ताव के पेज संख्या-51 संलग्न है।
8.	At several places seal of concerned officials have not been affixed.	मोहर लगा दी गयी हैं।
9.	The compensatory afforestation scheme has been taken on equilent forest land i.e.0.05 ha(RF) which is incorrect (as mentioned in part II sr.no.13)	प्रभावित वन भूमि 0.0555 हे0 का दोगुना भूमि 0.111 हे0 पर क्षतिपूरक वनीकरण प्राक्कलन प्रस्ताव के पेज संख्या-32 से 35 पर संलग्न है।
10.	The kml file of proposed compensatory afforestation (online) shows existing vegetation which needs re-verification of site. The kml file for proposed CA needs submission in CD for GIS DSS anylysis.	क्षतिपूरक वनीकरण स्थल पीपली आरक्षित वन ब्लाक कक्ष संख्या-2 में प्रस्तावित था, के स्थान पर पीपली आरक्षित वन ब्लाक कक्ष संख्या-6 में प्रस्तावित किया गया है है। सीडी0 प्रस्ताव के पेज संख्या-38 पर संलग्न है।
11.	The online uploaded location map on topo sheet is without signature.	हस्ताक्षर युक्त टोपो शीट आन-लाइन अपलोड कर दी गयी है। Farm -A (C) map page no.6
12.	The site suitability certificate for compensatory afforestation is not as per approved formate.	भूमि उपयुक्ता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में बनाकर प्रस्ताव के पेज संख्या-39 पर संलग्न है।

*अक्षय* 2

2

13.	The certificate regarding FRA 2006 has not been uploaded in online version.	वन अधिकार अधिनियम 2006 का प्रमाण पत्र फार्म-II में अपलोड कर दिया गया है। जो प्रस्ताव के पेज संख्या-11 पर संलग्न है।
14.	Site inspection report of DCF is incomplete.	DFO Site Inspection Report को पूर्ण कर दिया गया है। जो प्रस्ताव के पेज संख्या-43 पर संलग्न है।
15.	CF has inspected the site but inspection note is not available with proposal.	संशोधित पार्ट-3 प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है। (प्रस्ताव के पेज संख्या-17 पर संलग्न है)

संलग्नक-यथोपरि (प्रस्ताव की 3 प्रतियां मूल में)।

भवदीय,

(आर०पी० वर्मा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

संख्या

/ 14-1

उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि:-

प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर को उनके पत्र संख्या-2297/14-1दिनांक 18.05.2017 के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विषयक प्रस्ताव (इस कार्यालय से प्राप्त कर) तत्काल मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(आर०पी० वर्मा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।